

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं.2012/टीसी-III/1/1/ईआर

नई दिल्ली, दिनांक: 30.09.2015

महाप्रबंधक (वाणिज्यिक),
सभी भारतीय रेलें।

विषय: दावों को प्रस्तुत करना

संदर्भ: (क) 1.सीसीएम/पूर्व रेलवे का दिनांक 14.05.2014 और 22.05.2014 का पत्र सं. एफ.सीओए/रिकॉन/पालिसी/03/पार्ट III
2.सीसीएम/पूर्व रेलवे का दिनांक 13.12.2013 का पत्र सं. एफ.सीओए/रिकॉन/पालिसी/03/पार्ट III

(ख) 1. बोर्ड का दिनांक 22.11.2007 का पत्र सं. 2007/टीसी III/48/1/मिस
2. बोर्ड का दिनांक 09.06.2011 का पत्र सं. टीसी IV/2007/आरपी/1/पार्ट
3. बोर्ड का दिनांक 12.06.2012 का पत्र सं. 2012/टीसी III/1/1/ईआर
4. बोर्ड का दिनांक 25.08.1959 का पत्र सं. टीसी III/3530/59/पार्ट-II

1. संदर्भाधीन पत्रों के माध्यम से उपर्युक्त विषय पर पूर्व रेलवे द्वारा कतिपय स्पष्टीकरण मांगे जाने पर बोर्ड कार्यालय के वित्त और विधि निदेशालयों के साथ परामर्श कर इस विषय की विस्तार से जांच की गई।

2. अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया गया कि चूंकि मौजूदा रेल अधिनियम, 1989 को 1989 से लागू किया गया है इसलिए 2007, 2011 और 2012 (संदर्भ ख) के पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण, जो मुख्यतः बोर्ड के दिनांक 25.08.1959 के पत्र सं. टीसी III/3530/59/पार्ट-II पर आधारित है, को संबद्ध किए बिना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 106, 107 और 108 के स्पष्टीकरण की नए सिरे से समीक्षा करने की जरूरत है।

3. तदनुसार, समुचित रूप से विचार करने के बाद दावों को प्रस्तुत करने के संबंध में व्यापक मार्ग-निर्देश तैयार किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

- प्रेषिती अथवा प्रेषक अथवा प्रेषिती या प्रेषक की ओर से कोई अन्य व्यक्ति (दावा एजेंट, हैंडलिंग एजेंट आदि) प्रतिपूर्ति के लिए दावे का नोटिस दे सकता है।
- रेल प्रशासन को प्रतिपूर्ति के लिए दावे का नोटिस रेलवे को माल सौंपे जाने की तारीख से 6 माह के भीतर दिया जाना अपेक्षित है।

AJ OFFICIAL-PREFERMENT OF CLAIMS

देवाशिस प्रिक्तार,

०१०५

- iii. रेलवे द्वारा ढोए गए माल के संबंध में ओवरचार्ज के रिफंड के लिए रेल प्रशासन को दावे का नोटिस, भुगतान की तारीख अथवा गंतव्य स्थल पर माल की डेलीवरी की तारीख, जो भी बाद में हो, से 6 माह के भीतर दिया जाना अपेक्षित है।
- iv. दावे के नोटिस हमेशा लिखित में दिए जाएंगे।
- v. दावे का नोटिस देते समय दावाकर्त्ता उन प्रलेखों को प्रस्तुत करेगा जिनसे यह सिद्ध हो कि माल को ढुलाई के लिए रेलवे को सौंपा गया था।
- vi. रेलवे को प्रतिपूर्ति अथवा ओवर चार्ज के रिफंड के केवल उन दावा आवेदनों पर ही कार्रवाई करनी होती है जिनमें दावे के नोटिस 6 माह की अवधि के भीतर दिए जाते हैं।
- vii. यदि प्रेषक अथवा प्रेषिती अथवा प्रेषक की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा रेल अधिनियम, 1989 की धारा 106 के अन्तर्गत दावे का नोटिस दिया जाता है और बाद में यदि प्रेषिती द्वारा ऐसे दावे के लिए रेल अधिनियम, 1989 की धारा 107 के अन्तर्गत दावे का आवेदन दायर किया जाता है तो ऐसे दावे के आवेदन को केवल इस तकनीकी आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि दावे का नोटिस स्वयं प्रेषिती द्वारा नहीं दिया गया है।
- viii. दावे को नोटिस देने के बाद जब इस अधिनियम के धारा 107 के अन्तर्गत प्रेषिती द्वारा दावा कोई आवेदन पत्र दायर किया जाता है तो सही दावाकर्त्ता होने के कारण उसे अपने दावे के साथ अन्य कागजातों जैसे कि बुक किए गए परेषण का पूरा ब्यौरा, अग्रेषक/गंतव्य स्टेशनों का नाम, कम या खुली डेलीवरी का सर्टिफिकेट, यदि रेलवे ने दिया हो, बिक्री इन्वाइस/बीजक, यदि अपेक्षित हो, दावा की गई रकम का ब्यौरा आदि, जो दावों के त्वरित निपटान के लिए अपेक्षित हों, के अलावा आर-आर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- ix. दावा का नोटिस देने के बाद जब इस अधिनियम धारा 107 के अन्तर्गत प्रेषक/भेजने वाले के द्वारा दावा आवेदन पत्र दायर किया जाता है तो पैरा (viii) में उल्लिखित अन्य कागजातों, जो दावे का त्वरित निपटान के लिए अपेक्षित हैं, के अलावा उसे दावे के साथ-साथ प्रेषिती से एक प्राधिकार (अर्थात् प्राधिकार पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
- x. दावा का नोटिस देने के बाद जब इस अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत प्रेषिती की ओर से दावा एजेन्ट अथवा हैंडलिंग एजेंट जैसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा आवेदन पत्र दायर किया जाता है तो पैरा (viii) में उल्लिखित अन्य कागजातों, जो दावे का त्वरित निपटान के लिए अपेक्षित हैं, के अलावा उसे दावे के साथ प्रेषिती से उपयुक्त मूल्य के स्टैम्प पेपर में पावर ऑफ एटार्नी के जरिए प्राधिकार प्रस्तुत करना जरूरी है।

- xi. दावे का नोटिस देने के बाद जब इस अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत प्रेषक की ओर से दावा एजेंट या हैंडलिंग एजेंट जैसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा आवेदन दायर किया जाता है तो इस मामले में प्रेषक के पास जैसा कि ऊपर पैरा (ix) में उल्लेख किया गया है दावा करने के लिए प्रेषिती से प्राधिकार (प्राधिकार पत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र) प्राप्त होना चाहिए। तत्पश्चात् पैरा (viii) में यथा उल्लिखित अन्य कागज़ातों, जो दावों में त्वरित निपटान के लिए अपेक्षित हैं, के अलावा दावा एजेंट/हैंडलिंग एजेंट को प्रेषिती से प्रेषक के पक्ष में प्राप्त किया गया प्राधिकार पत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र और प्रेषक से प्राप्त समुचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर वैध पावर ऑफ एटार्नी, जिसमें प्रेषक की ओर से दावा एजेंट/हैंडलिंग एजेंट को प्राधिकृत किया गया हो, दोनों प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं।
- xii. जब कभी प्राधिकार पत्र अथवा पावर ऑफ एटार्नी प्रस्तुत करना अपेक्षित हो तो यह आर-आर के संदर्भ में दावे के प्रत्येक मामले के लिए मूल रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा और इन कागज़ातों में वैधता अवधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।
- xiii. उपर्युक्त सभी स्थितियों में प्रतिपूर्ति का अंतिम भुगतान अनिवार्यतः सीधे मूल दावाकर्ता अर्थात् प्रेषिती को किया जाएगा।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
5. यह इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।
6. कृपया इस पत्र में अन्तर्विष्ट अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करें।

कृपया पावती दें।

7. इससे पूर्व रेलवे के संदर्भधीन ऊपर उल्लिखित पत्रों का निपटान हो जाता है।

देवशिश सिकदार,
(देवाशिश सिकदार)

संयुक्त निदेशक, याता. वाणि.(दावा),
रेलवे बोर्ड।

सं.2012/टीसी-III/1/1/ईआर

नई दिल्ली, दिनांक: 30.09.2015

प्रतिलिपि प्रेषित: वित्त सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी, सभी भारतीय रेलें।

मनोज इव

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2012/TC-III/1/1/ER

New Delhi, dt. 30-09-2015

General Manager (Commercial),
All Indian Railways.

Sub: Preferment of Claims.

Ref.: (A) 1. CCM/Eastern Rly.'s letter No. F.COA/Recon/Policy/03/Pt. III
dated 14.5.2014 and 22-05-2014.
2. CCM/Eastern Rly.'s letter No. F.COA/Recon/Policy/03/Pt. III
dated 13.12.2013

(B) 1. Board's letter No.2007/TC-III/48/1/Misc. dated 22-11-2007. ✓
2. Board's letter No.TC-IV/2007/RP/1/Pt. dated 09-06-2011. ✓
3. Boards letter No. 2012/TC-III/1/1/ER dated 12-06-2012. ✓
4. Board's letter No.TC-III/3530/59/Pt.II dated 25.08.1959.

1. On receipt of Eastern Railway's references seeking certain clarifications in respect of the subject matter, the matter was examined in detail in consultation with Finance and Legal Directorates of Board's office.
2. It has, inter-alia been observed that since the existing Railway Act 1989 has come in effect from 1989, the above raised matter needs to be relooked afresh for interpretation of section 106, 107 and 108 of the Railways Act 1989 without linking it to earlier interpretations of 2007, 2011 and 2012 (ref.B) which is mainly based on Board's letter No. TC-III/3530/59/Pt.II dated 25-08-1959.
3. Accordingly, after due deliberations a comprehensive guidelines on preferment of claims have been drawn, which are as under:
 - (i) Consignee or consignor or any other person (Claim agents, Handling agents etc.) on behalf of consignee or consignor is entitled to serve a notice of claim for compensation.
 - (ii) Notice of claim for compensation is required to be served to the railway administration within a period of six months from the date of entrustment of the goods to the railways.
 - (iii) Notice of claim for refund of an overcharge in respect of goods carried by Railway is required to be served to the railway administration within a period of six months from the date of payment or the date of delivery of goods at the destination station, whichever is later.

o/c

- (iv) Notice of claim shall always be in writing.
- (v) At the time of notice of claim, claimant shall submit the documents by which it can be established that the goods has been entrusted to the railways for carriage.
- (vi) Railway is entitled to entertain only those claim applications for compensation or refund of an overcharge in which notices of claims have been served within a period of six months.
- (vii) If a notice of claim under section 106 of the Railway Act 1989 is served by the consignor or by a person on behalf of consignee or consignor and subsequently if claim application under section 107 of the Railways Act 1989 is filed by the consignee for such claim, the claim application shall not be treated as invalid merely on technical ground that notice of claim has not been served by the consignee himself.
- (viii) After serving notice of claim, when a claim application, under section 107 of the Act, is filed by the consignee, he/she being the rightful claimant needs to submit the RR besides other documents (like full particulars of the consignment booked, name of forwarding/destination stations, copy of short or open deliver certificate, if given by the railways, sale invoice/Beejuck if required, detail of amount claimed etc. which may be required for speedy and prompt settlement of claims along with his/her claim.
- (ix) After serving notice of claim, when a claim application, under section 107 of the Act, is filed by the consignor/sender, besides other documents as mentioned in para (viii), which may be required for speedy and prompt settlement of claims, he/she needs to submit an authority (i.e. Letter of Authority/No Objection Certificate) from the consignee alongwith the claim.
- (x) After serving notice of claim, when a claim application, under section 107 of the Act, is filed by any other person like claim agent or handling agent on behalf of consignee, besides other documents as mentioned in para (viii), which may be required for speedy and prompt settlement of claims, he/she needs to submit an authorization through a Power of Attorney (POA) on stamp paper(s) of appropriate value from the consignee alongwith the claim.
- (xi) After serving notice of claim, when a claim application, under section 107 of the Act, is filed by any other person like claim agent or handling agent on behalf of the consignor, in this case, first the consignor should have the authorization (Letter of Authority/No Objection Certificate) from the consignee to claim as stated in para No.(ix) above. Thereafter, besides other documents as mentioned in para (viii) which may be required for speedy and prompt settlement of claims, claim agent/handling agent is required to submit both Letter of Authority/No Objection Certificate from consignee in favour of consignor and a valid Power of Attorney on stamped paper(s) of appropriate value from the consignor authorizing the claim agent/handling agent on consignor's behalf.
- (xii) Whenever Letter of Authority (LOA) or Power of Attorney (POA) is required to be submitted, it has to be submitted in original for each case of claim in reference to RR and period of validity should also be indicated in these documents.

